न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 02/2020

सुखजिन्द्रपाल सिंह आदि बनाम जसविन्द्र सिंह आदि

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी.पी.सी.

निर्णय दिनांक : 14.2.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उपरोक्त अनवानी मुकदमा में माननीय न्यायालय द्वारा वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा दिनांक 27.01.2020 को स्वीकार किया जाकर दिनांक 27.01.2020 को डिक्री जारी की गयी थी। जो कि उक्त अनवानी प्रकरण में जमाबदी तहसील ऑनलाईन होने के पूर्व की पेश की हुयी थी एव तहसील ऑनलाईन होने पर दोनों खातों की आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा कस्सी में अंकन अलग दर्ज हुआ है एव आदेश व डिक्री में हिस्सा कस्सी पूर्व के रिकॉर्ड अनूसार है जिस कारण कम्पयूटर के द्वारा हिस्सा कस्सी अलग अंकन होने के कारण डिक्री की पालना नही हो पा रही है जो कि आदेश व डिक्री में मद सं. (1) के अन्त में दर्ज ''कुल खाता 22.517 है. नहरी मय गै.मु. आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 3.166 है. आराजी में वादीगण संख्या 1 व 2 को ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है'' के स्थान पर '' कुल खाता 22.517 है. नहरी मय गै.मु. आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 4222/22517 आराजी में वादीगण संख्या 1 व 2 को ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है''' एवं मद संख्या (2) के अन्त में दर्ज '' कुल खाता 33.510 है. नहरी मय गै.मु. आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 4.585 है. आराजी में वादीगण संख्या 1 व 2 को ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है'' के स्थान पर ''कुल खाता 34.775 है. नहरी मय गै.मु. आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 6116/34775 आराजी में वादीगण संख्या 1 व 2 को ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है'' दर्ज किया जाना चाहिये , जो कि वादीगण द्वारा वादपत्र में सेग्रीग्रेशन के कार्य से पूर्व की जमाबंदी पेश की हुयी थी एव नयी जमाबदी में हिस्साकस्सी में अन्तर आ रहा है जिस कारण माननीय न्यायालय के आदेश की पालना नही हो पा रही हैएव वादीगण का वाद पत्र पिता पुत्र होने एव वाद पत्र में राजीनामा पेश होने के आधार पर डिक्री हुआ है एव वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद नही था, एव उक्त संशोधन किया जाना न्यायाहित में आवश्यक है ताकि वादीगण राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करवाकर आगामी कार्यवाही कर सके।

लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी. पी. सी. मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश एवं डिक्री दिनांक 27.01.2020 व 27.01.2020 की मद सं. (1) के अन्त में दर्ज ''कुल खाता 22.517 है. नहरी मय गै.मु. आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 3.166 है. आराजी में वादीगण संख्या 1 व 2 को ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है'' के स्थान पर '' कुल खाता 22.517 है. नहरी मय गै.मु. आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 4222/22517 आराजी में वादीगण संख्या 1 व 2 को ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है''' एवं मद संख्या (2) के अन्त में दर्ज '' कुल खाता 33.510 है. नहरी मय गै.मु. आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 4.585 है. आराजी में वादीगण संख्या 1 व 2 को ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है'' के स्थान पर ''कुल खाता 34.775 है. नहरी मय गै.मु. आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 6116/34775 आराजी में वादीगण संख्या 1 व 2 को ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है'' दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेशी में ली गयी। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं पेश पूर्ववर्ती आदेश के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अ. धारा 152 सी. पी. सी. स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हूं।

संशोधित आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण (वादीगण) स्वीकार किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि उक्त अनवानी प्रकरण में पारित आदेश एवं डिक्री दिनांक 27.01.2020 व 27.01.2020 की मद सं. (1) के अन्त में दर्ज ''कुल खाता 22.517 है. नहरी मय गै.मु. आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 3.166 है. आराजी में वादीगण संख्या 1 व 2 को ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है'' के स्थान पर '' कुल खाता 22.517 है. नहरी मय गै.मु. आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 4222/22517 आराजी में वादीगण संख्या 1 व 2 को ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है''' एवं मद संख्या (2) के अन्त में दर्ज '' कुल खाता 33.510 है. नहरी मय गै. मु. आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 4.585 है. आराजी में वादीगण संख्या 1 व 2 को ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है'' के स्थान पर ''कुल खाता 34.775 है. नहरी मय गै.मु. आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 6116/34775 आराजी में वादीगण संख्या 1 व 2 को ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है'' पढा जावे एवं इसी अनूसार आदेश की पालना कर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। शेष आदेश यथावत रहेगा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.03.17 12:00:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: